# उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अंचल का कार्यालय
## बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
## 7 सरदार पटेल मार्ग, पटना–15

।। अति अल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना ।।

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

**निविदा संख्या– 09/N.B.C. /पटना दिनांक– 31.03.2018**

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/केन्द्रीय/राज्य सरकार/एम.ई.एस./सी.पी.डब्ल्यू.डी./ सार्वजनिक क्षेत्र में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदको से दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) अन्तर्गत FDR योजना के तहत निम्नलिखित आर.सी.सी. सेतु निर्माण हेतु दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि संवेदक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व से निबंधित नहीं है, तब एकरारनामा के पूर्व इन्हें निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

| क्र. स. | जिला | परियोजना का नाम | अनुमानित लागत (लाख में) | परिमाण विपत्र का मूल्य/के नाम से भुगतेय (रू. में) | अग्रधन की राशि/के नाम में प्रतिज्ञापित (रू.लाख में) | Bid Processing Fee(online payment)( अप्रत्यपर्णीय) (रू. में) | कार्य समाप्ति की अवधि (माह में) | परिमाण विपत्र का मूल्य एव अग्रधन की राशि मूल में निम्नलिखित किसी एक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय, कार्य प्रमंडल कटिहार अंतर्गत | | | | | | |
| 1 | कटिहार | कटिहार जिला के अंतर्गत वर्ष 2017 के बाढ़ से क्षतिग्रस्त बेलौरी बाजार–शिवगंज–सोनैली बाजार पथ के 28वे कि0मी0 मे पहुँच पथ निर्माण कार्य, बचाव कार्य, डायभर्सन निर्माण कार्य एव विविध कार्य सहित 6x21.00 मी0 आकार का उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य, पुल की लंबाई 129.60 मी0 नीव का प्रकार– वेल फाउंडेसन | 1303.50924 | 10000.00/ वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार | 23.04/ वरीय परियोजना अभियंता कार्य प्रमंडल, कटिहार | 17,700.00 | 24 | उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अचल पटना/वरीय परियोजना अभियंता कार्य प्रमंडल, कटिहार |
| 2 | कटिहार | कटिहार जिला के अंतर्गत वर्ष 2017 के बाढ़ से क्षतिग्रस्त कटिहार–सोनौली–झौआ–सालमारी–बारसोई–बलराम पुर– पथ के 15वें कि0मी0 में पहुँच पथ निर्माण कार्य, बचाव कार्य, डायभर्सन निर्माण कार्य एव रोड सेफ्टी कार्य सहित 6x21.00 मी0 आकार का उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य, पुल की लंबाई 129.60 मी0 नीव का प्रकार– वेल फाउंडेसन | 1196.66434 | 10000.00/ वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार | 21.97/ वरीय परियोजना अभियंता कार्य प्रमंडल, कटिहार | 17,700.00 | 24 | उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अचल पटना/वरीय परियोजना अभियंता कार्य प्रमंडल, कटिहार |

| | |
|---|---|
| 2. बीड पत्र Download करने की अवधि एवं समय | दिनांक–10.04.2018 को 10:00 बजे पूर्वाहन से दिनांक 17.04.2018 को 3:00 बजे अपराहन, तक सिर्फ वेबसाइट *www.eproc.bihar.gov.in* पर। |
| 3. बीड Upload की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक–18.04.2018 को 3:00 बजे अपराह्न तक वेबसाइट *www.eproc.bihar.gov.in* पर। |
| 4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान | दिनांक–19.04.2018 को 3:30 बजे अपराह्न से वेबसाइट *www.eproc.bihar.gov.in* पर। |
| 5. निविदा की वैध अवधि | निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक। |

6. क्रमांक 2, 3 एवं 4 (निविदा संबंधित तिथि) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
7. तकनीकी बीड में सफल संवेदकों का ही वित्तीय बीड सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर खोला जायेगा।
8. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदको को *www.eproc.bihar.gov.in* पर पंजीकृत होना होगा। यह उन्हें वेबसाइट (*www.eproc.bihar.gov.in*) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।
9. ई–निविदा पत्र, अन्य नियम एवं शर्त्तें वेबसाईट (*www.eproc.bihar.gov.in*) से प्राप्त किया जा सकता है।
10. संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भर कर भेजना है। अन्य सभी महत्त्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। मूल DD/EMD आदि जमा करने की अन्तिम तिथि–**19.04.2018** को अपराह्न 3:00 बजे तक वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार/ वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमंडल, चकिया अथवा उप मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर बिहार अंचल, पटना में परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि को मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है।
11. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को निगम के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
12. दस करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि होने पर Joint Venture स्वीकार्य होगा।
13. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पंजीकरण हेतु ई–परोक्योरमेन्ट, हेल्प डेस्क–22, **प्रथम मंजिल एम० 22, बैंक ऑफ़ इंडिया भवन रोड सं० 25, श्रीकृष्णनगर**, पटना–800001 (दूरभाष संख्या–0612–2523006 एवं 7542028164) से सम्पर्क किया जा सकता है।
14. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट *http://brpnn.bih.nic.in, http://www.prdbihar.gov.in* पर देखा जा सकता है।

**सम्पर्क पदाधिकारी का नाम एवं मो० नं०–**

1. श्री कासिम अंसारी, तकनीकी सलाहकार, उत्तर बिहार अंचल, पटना. मो0 नं0– 08544419027
2. श्री भगवान राम, वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार, मो0 नं0.–8544402464 (निविदा क्र सं0 1 एवं 2 के लिए)

31.03.18

उप मुख्य अभियंता
उत्तर बिहार अंचल,
पटना।
31.3.18

ज्ञापांक 889 / पटना, दिनांक 31-03-2018

**प्रतिलिपि** : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु समर्पित किया जाता है।

31.03.18

उप मुख्य अभियंता
उत्तर बिहार अंचल,
पटना।

ज्ञापांक 889 / पटना, दिनांक 31.03.18

**प्रतिलिपि** : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

31.03.18

उप मुख्य अभियंता
उत्तर बिहार अंचल
पटना।

ज्ञापांक 889 / पटना, दिनांक 31.03.18

**प्रतिलिपि** : बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.03.18

उप मुख्य अभियंता
उत्तर बिहार अंचल
पटना।

ज्ञापांक 889 / पटना, दिनांक 31.03.2018

**प्रतिलिपि** : वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने प्रमंडलाधीन निविदा से संबधित सभी प्रक्रिया (E-proc पर निविदा से संबंधित सभी कागजात Uploaded करना) दिनांक– 09.04.2018 तक पूरा करना सुनिश्चित करें।

31.03.18

उप मुख्य अभियंता
उत्तर बिहार अंचल
पटना।

ज्ञापांक 889 / पटना, दिनांक 31.03.2018

**प्रतिलिपि** : नोडल पदाधिकारी, E-Advetisement, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, को बिहार के संबंधित जिले (पटना, कटिहार,) में दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु प्रेषित।

31.03.18

उप मुख्य अभियंता
उत्तर बिहार अंचल
पटना।

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा / दर प्रस्ताव के साथ अग्रधन की राशि निम्न रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

(i) कॉलम– 5 में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जोनिम्नपदनाम से निर्गत एवं पता में भुगतेय हो। एवं

(ii) कॉलम– 6 में अग्रधन की राशि को निम्न रूप से संलग्न करना अनिवार्य है जो निम्न पदनाम से Pledged होगा। **वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, कटिहार,** के पदनाम से निर्गत हो तथा कटिहार में भुगतेय हो।

a. बिहार राज्य से निर्गत, बैंक ड्राफ्ट / सावधि जमा / NSC/KVP

b. एक करोड से उपर के परियोजना के लिए शर्त्त रहित बैंक गारंटी (बीड पीरियड के 45 दिनों बाद तक वैद्य) जो किसी भी अनुसूची भारतीय बैंक से निर्गत हो। (बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत की स्थिति में एकरारनामा के पूर्व बिहार राज्य अन्तर्गत किसी अनुसूची बैंक से परावर्तित कराना होगा)।

(iii) कॉलम– 7 में अंकित राशि को बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट / डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन0ई0एफ0टी0 / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

a."Bid processing Fee is mandatory to be paid through online mode I.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."

b. "Bid along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of Online Payment caused due to Non-avaliability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason.")

2. संवेदक को तकनीकी बीड में निम्न अर्हत्ता पूर्ण करना होगा तथा समस्त प्रमाण पत्रों (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) को स्कैन कर अपलोड (UPLOAD) करना अनिवार्य है। निविदा प्राप्ति के बाद कोई भी कागजात / प्रमाण–पत्र आदि स्वीकार्य अथवा विचार योग्य नहीं होगा।

(i) आयकर वाणिज्य कर एवं श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण पत्र। (PAN/TAN तथा GST)

(ii) संवेदक को किसी सरकारी / बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0. द्वारा (क) Debar (ख) Black listed एव (ग) Rescind न होने की सूचना का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है।

(iii) विगत पांच वित्तीय वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष का Civil Construction work से संबंधित कार्य का ऑडिटेड टर्न ओभर (A.T.O.), जिसमें निविदित कार्य विशेष के अनुमानित लागत का किसी एक वर्ष में कम से कम 40% के समतुल्य होना अनिवार्य है। टर्न ओभर के साक्ष्य के रूप में Audited profit & loss Account संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(iv) संवेदक को उनके जिम्मे, सम्पादित किये जा रहे अन्य कार्यों के एकरारनामा की राशि बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सम्पादित किये गये कार्यों की राशि एवं सम्पादन हेतु अवशेष कार्यों की राशि की स्पष्ट विवरणी, कार्यवार तैयार कर अलग से तालिका रूप में, शपथ–पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य है। यदि उनके जिम्मे कोई कार्य नहीं भी है तो भी शपथ–पत्र के माध्यम से शून्य प्रतिवेदन करना अनिवार्य है।

(v) संवेदक द्वारा Bid Amount का 25 प्रतिशत invest करने का शपथ पत्र।

(vi) उपरोक्त (ii), (iii), (iv) एवं (v) निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि के बीच अवधि का शपथ–पत्र में होना अनिवार्य है।

(vii)विगत पाच वित्तीय वर्षों के अन्दर मे प्रत्येक निविदित पुल के 50% लम्बाई के एक पुल को पूर्ण करने का अनुभव (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत)। यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित आर.सी.सी. पुल निर्माण का उक्त पाँच वित्तीय वर्ष मे हीं आरंभ हुआ हो जो निम्न प्रकार है–

| क्र0 संख्या | पूर्ण किये गये आर0 सी0 सी0 पुल की न्यूनतम लम्बाई (मी0) |
|---|---|
| 1 | 64.80 |
| 2 | 64.80 |

(viii) आर.सी.सी. सेतु परियोजना की स्थिति में उपरोक्त निविदित पुलों के निम्नवार आर्हत्ता (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत ) अनिवार्य है :–

| क्र.सं. | नींव कार्य की गहराई पाईल (न्यूनतम 1200/1000mm dia) अथवा/कूप गलाई मी0 | कराये गये कंक्रीट कार्य की मात्रा (Cum) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pile – 664.00<br>or<br>Well – 166.00 | **3525.17** | विगत पाँच वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष में होना अनिवार्य है। यह आवश्यक नहीं है कि कॉलम 2 एवं 3 का कार्य एक ही वित्तीय वर्ष में सम्पादित किया गया हो। |
| 2 | Pile – 694.00<br>Or<br>Well – 173.50 | **3331.509** | |

(ix) Financial Resource/Liquid Assest के रूप मे निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में बैंक Certificate के रूप में प्राक्कलित राशि के 10% के समतुल्य होना अनिवार्य है। (प्रारूप बेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।)

3. (i) Sl. No. 1 से 2 तक की निविदा का दर प्रस्ताव बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्रभावी अनुसूची दर से कम, बराबर या अधिक प्रतिशत में अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) करना होगा। दर प्रतिशत को अंको के साथ–साथ शब्दों में भी अंकित करना होगा।

(ii) निविदा दर प्रभावी, अनुसूचित दर से कम दिये जाने की स्थिति में अभियता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त –सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–3376(इ.) दिनांक 17.08.2010 के कंडिका–4 में दिये गये दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 2046(एस0) दि0– 06.03.2014 के अनुसार प्रति त दर पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धत रहने वाले निविदाए अमान्य मानी जायेगी।

(iv) निविदा मे, अन्तिम रूप मे संवेदक का चयन हाने के पश्चात, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य है अन्यथा उनके पक्ष मे किये गये कार्यावंटन को रद्द कर दिया जायेगा। भविष्य में उनका कोई दावा मान्य नही होगा एवं उनका अग्रधन राशि जब्त कर लिया जायेगा।

4. (i) आर॰सी॰सी॰ सेतु निर्माण से संबंधित यंत्र–संयंत्र/स्टेजिंग एवं शटरिंग के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण–पत्र (शपथ पत्र के साथ) होना चाहिए। विभागीय पदाधिकारी अथवा परियोजना अभियंता द्वारा कार्य से संबंधित, यंत्र–संयंत्र/स्टेजिंग एवं शटरिंग का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(ii) तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर समस्त वांछित सूचनाओं यथा अग्रधन, कार्य संबंधी अर्हता, कार्य–अनुभव, निबंधन आदि को पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) होना चाहिए।

5. निविदा दाता को सलाह दी जाती है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें एवं कार्य स्थल की स्थिति तथा अन्य स्थितियों को पूर्ण अवगत हो लें। कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित अन्य कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा में निहित शर्त्तों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

6. दस्तावेज की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

7. निगम द्वारा अनुमोदित ब्रांड का स्टील अवयव एवं ग्रेड सीमेंट का व्यवहार करना संवेदक द्वारा अनिवार्य होगा।

8. ओभर हेड मद के अन्तर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण–सह–स्थल कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जायेगा।

9. अनुमानित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

10. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

11. सशर्त बीड स्वीकार्य नहीं होगा। निगम के नियमावली अंतर्गत कार्य सम्पन्न होगा।

12. निविदादाता द्वारा फर्जी/गलत अनुभव प्रमाण–पत्र या निविदा से संबंधित अन्य गलत कागजात प्रस्तुत करने या देने पर, जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायगी एवं निबंधन को काली सूची में डालने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बीड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

31.03.18

उप मुख्य अभियंता
उत्तर बिहार अंचल
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड,
31.03.18 पटना।
31.3.18